एस. सेशाचलम एवं अन्य आदि

बनाम

चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य,

(सिविल अपील सं. 11454-11459 / 2014)

16 दिसंबर, 2014

[एम. वाई. इकबाल और आर. भानुमती, न्यायाधिपतिगण]

तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 - धारा 16 स्पष्टीकरण II (5) परंतुक - प्रैक्टिस बंद करने पर राशि का भुगतान अधिवक्ता कल्याण निधि का वर्गीकरण - अधिवक्ता कल्याण निधि - वकीलो का वर्गीकरण - वकील अपने नामांकन के तुरंत बाद शामिल होते हैं और वकील जो सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद खुद को नामांकित करते हैं और पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं - किसी राज्य या केंद्र सरकार के संगठन से पेंशन या ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों को दो लाख रुपये के भुगतान से इनकार - को चुनौती - अभिनिर्धारित : इन दो श्रेणियों में वकीलों का वर्गीकरण एक उचित वर्गीकरण है जिसका अधिनियम के उद्देश्य के साथ संबंध है - कानूनी पेशे में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और अधिवक्ताओं के इस समूह को एकमुश्त कल्याण निधि के लाभ से वंचित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है - बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 धारा 1(3) - अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 - केरल अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम- धारा 15 - उड़ीसा अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम - धारा 15 - राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम - धारा - 16.

न्यायालय ने, अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 वकील, अपने नामांकन के तुरंत बाद, जो उच्च आशाओं और अपेक्षाओं के साथ कानूनी पेशे में शामिल होते हैं और अपना पूरा जीवन इस पेशे के लिए समर्पित कर देते हैं, वे अधिनियम के तहत एकमुश्त कल्याण निधि के वास्तविक हकदार हैं। वकील जो सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद अपना नामांकन कराते हैं और पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं, जो मूल रूप से अपने जीवन की शाम को हरित चरागाहों की तलाश में इस क्षेत्र में शामिल होते हैं, उनकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती और न ही की जानी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पेशे के लिए समर्पित कर दिया है। इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए, पेंशन और टर्मिनल लाभों के मद्देनजर कुछ मात्रा में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाती है और उन्हें अधिनियम के तहत एकमुश्त कल्याण निधि के लिए पात्र बनाना वास्तव में दोगुना लाभ होगा। इसलिए, इन दो श्रेणियों में वकीलों का वर्गीकरण अधिनियम के उद्देश्य के साथ संबंध रखने वाला एक उचित वर्गीकरण है। कानूनी पेशे में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और अधिवक्ताओं के इस समूह को एकमुश्त कल्याण निधि के लाभ से वंचित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 28,31] [484-जी-एच; 485- ए-बी; 486-डी]

1.2. अधिनियम का उद्देश्य वकालत बंद होने पर अधिवक्ताओं के लाभ के लिए एक कल्याण कोष के गठन का प्रावधान करना है। धारा 3 (2) (डी) के अनुसार सरकार द्वारा कल्याण कोष में दिया गया कोई भी अनुदान अधिवक्ता कल्याण कोष के स्रोतों में से एक है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही सरकार या अन्य नियोक्ता से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अधिवक्ता कल्याण निधि से एक और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करना दोगुना लाभ होगा और उन्हें कल्याण निधि की एकमुश्त राशि के लाभ से बाहर रखा गया है। [पैरा 29] [485-सी-ई]

1.3. केंद्रीय कानून-अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 की धारा 28 में प्रावधान है कि कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उक्त धारा 19, 21 और 24 के तहत अनुग्रह अनुदान का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ राज्य अधिनियम भी अधिवक्ताओं के बीच इस आधार पर अंतर करता है कि अधिवक्ताओं के एक समूह को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त होती है या टर्मिनल लाभ और पेंशन आदि के रूप में कुछ अन्य नियोक्ता विभिन्न राज्यों के संबंधित अधिनियम अर्थात् केरल अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 15), उड़ीसा अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 15) और राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 16), बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 1(3) में समान प्रावधान हैं जो उन अधिवक्ताओं के बीच अंतर करते हैं जिन्होंने अपना कार्यालय छोड़ने के बाद खुद को वकील के रूप में नामांकित किया और अधिवक्ताओं के दूसरे वर्ग जिन्होंने सीधे लॉ कॉलेज से वकील के रूप में नामांकन किया और अभ्यास स्थापित किया। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिवक्ताओं के दो वर्गों के बीच अंतर अनुचित या अतार्किक है। [पैरा 30] [485-एफ-एच; 486-ए-बी]

विशेष न्यायालय विधेयक, 1979 (2) एससीआर 476: (1979) 1 एससीसी 380; राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनाम श्री श्याम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 2011 (2) एससीआर 291: (2011) 3 एससीसी 238; भारत संघ एवं अन्य. बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स और अन्य 1975 (2) एससीआर 573: (1975) 1 एससीसी 305; डॉ. सुषमा शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य.1985 एससीआर 243 (1985) पूरक एससीसी 45; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी एवं अन्य। 1996 (6) पूरक एससीआर 392: (1996) 10 एससीसी 536; रामराव एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य 2004 (1)

एससीआर 19: (2004) 2 एससीसी 76; पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अमर नाथ गोयल और अन्य 2005 (2) पूरक एससीआर 549 : (2005) 6 एससीसी 754; डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई एवं अन्य (2014) 8 एससीसी 682; केदार नाथ तिवारी बनाम बिहार राज्य 2011 (2) पीएलजेआर 401 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1979 (2) एससीआर 476	संदर्भित किया गया	पैरा 23
2011 (2) एससीआर 291	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1975 (2) एससीआर 573	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1985 एससीआर 243	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1996 (6) पूरक एस. सी. आर. 392	संदर्भित किया गया	पैरा 23
2004 (1) एस. सी. आर 19	संदर्भित किया गया	पैरा 23
2005 (2) पूरक एस. सी. आर. 549	संदर्भित किया गया	पैरा 23
(2014) 8 एस. सी. सी. 682	संदर्भित किया गया	पैरा 24
2011 (2) पीएलजेआर 401	संदर्भित किया गया	पैरा 32

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 11454-11459 / 2014

रिट याचिका संख्या 823. , 824, 826 और 830 से 832 / 2007 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.07.2009 से।

मय

सी.ए. नंबर 11460/2014

प्रमोद स्वरूप, हरीश बीरन, निशे राजन शोंकर, ब्रज किशोर मिश्रा, अपर्णा झा, फराज़ मकबूल, अपीलार्थी के लिये।

एल. नागेश्वर राव, एएसजी, सुब्रमण्यम प्रसाद, एएजी, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, सत्य मित्र गर्ग, रुद्रेश्वर सिंह, समीर अली खान, योगेश कन्ना, जननी, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश आर. भानुमति के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. क्या तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 की धारा 16 स्पष्टीकरण II (5) के परंतुक में पेंशन या ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं के रिश्तेदारों को दो लाख रुपये के भुगतान से इनकार करना भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और और क्या अधिवक्ताओं के इस वर्ग को उनकी कानून की डिग्री के बाद सीधे बार में दाखिला लेने वाले अन्य कानून स्नातकों से अलग करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, इन अपीलों में विचार के लिए आने वाले बिंदु हैं।

3. इसी तरह की चुनौती बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 की धारा 1(3) को दी गई है, जो बिहार राज्य अधिवक्ता के दायरे से उन व्यक्तियों को बाहर करती है जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने नियोक्ता से सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कल्याण निधि अधिनियम की दृष्टि से। सुविधा के लिए, तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली अपीलों को मुख्य मामले के रूप में लिया जाता है।

4. अपीलकर्ता या तो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या कानून की डिग्री के साथ योग्य अन्य संगठनों से हैं, जिन्होंने अपनी संबंधित सेवाओं से सेवानिवृत्त होने

के बाद खुद को वकील के रूप में नामांकित किया है और अब अदालतों में अभ्यास कर रहे हैं। तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम की धारा 16 के विवादित प्रावधान और स्पष्टीकरण II (5) को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कीं और कहा कि कल्याण कोष अधिनियम का लाभ उन अधिवक्ताओं के रिश्तेदारों को नहीं दिया गया है जो किसी भी राज्य या केंद्र सरकार या संगठन से ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभ पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

5. मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उन सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच को स्वीकार किया, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खुद को वकील के रूप में नामांकित किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 16 के स्पष्टीकरण II (5) के आक्षेपित प्रावधान को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। व्यथित होकर, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की, जिसने अपील की अनुमति दी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा, "... शुरुआत से ही कानून के पेशे में दाखिला लेने वाले और इसे अपनाने वाले सदस्य अधिवक्ताओं और सेवानिवृत्ति के बाद, यानी अपने जीवन के लगभग 58 वर्ष पूरे होने के बाद, , एकमुश्त लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, कानून के पेशे में शामिल होने वाले अधिवक्ताओं के बीच अंतर किया गया है..." एक उचित वर्गीकरण है और उक्त वर्गीकरण का हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों से संबंध है और इसे मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इसे चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हरीश बीरन ने तर्क दिया कि अधिवक्ताओं के वर्गीकरण के आधार पर एकमुश्त लाभ से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया गया कि सरकार सेवा/संगठन से पद छोड़ने के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्तियों और जिन्होंने वकील के रूप में नामांकन किया और सीधे लॉ कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू की, यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत 'वकील' शब्द को परिभाषित करते समय अधिनियम में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्राप्त पेंशन और अन्य लाभ पिछले नियोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उन्हें भुगतान की गई वैधानिक राशि है और यह एक अर्जित लाभ है, और यह एकमुश्त लाभ से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विवादित प्रावधान अधिनियम की धारा 2 (i) के प्रतिकूल और विरोधाभासी है, जो 'फंड के सदस्य' शब्द को परिभाषित करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत होने के कारण इसे रद्द किया जा सकता है।

7. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रमोद स्वरूप (एसएलपी (सी) संख्या 34326/2012 से उत्पन्न सिविल अपील) ने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार, जो व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने वालों को अधिनियम के तहत सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है। यह तर्क दिया गया कि अधिवक्ताओं के सजातीय समूह के बीच किया गया कृत्रिम वर्गीकरण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों-अधिवक्ताओं को कल्याण निधि का सदस्य बनने से वंचित करना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।

8. श्री एल. नागेश्वर राव, तमिलनाडु राज्य के एएसजी की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि कल्याण निधि अधिनियम का उद्देश्य वकीलो को कल्याण या

सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है, जो विधि के व्यवसाय के प्रति समर्पित है और उनकी मृत्यु की स्थिति में, उनके कानूनी उत्तराधिकारी एकमुश्त कल्याण राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अधिवक्ताओं के बीच किया गया भेद एक उचित वर्गीकरण के बराबर है और एक समझदार अंतर पर आधारित है, जिसका संबंधित अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ तर्कसंगत संबंध है।

9. बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रुद्रेश्वर सिंह ने कहा कि कल्याण निधि योजना केवल उन युवा अधिवक्ताओं के लिए है जो अपने पेशे की शुरुआत से संघर्ष करते हैं और यह उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नहीं है जो पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ अपने पिछले नियोक्ताओं से प्राप्त करते हैं केंद्रीय कानून-अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 और अन्य राज्यों के कल्याण निधि अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ये कानून अपने नियोक्ताओं से पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं और इसकी स्थापना करने वालों के बीच अंतर करते हैं, जो कानून की डिग्री पूरी करने के बाद सीधे अभ्यास शुरू करते है।

10. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णयों का अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया है।

11. उद्देश्यों और कारणों का विवरण - अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001: संसद द्वारा अधिनियमित अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 उपयुक्त सरकार को इस उद्देश्य के साथ "अधिवक्ता कल्याण निधि" नामक एक निधि का गठन करने का आदेश देता है। कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता के रूप में

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गरीब या विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजना प्रदान करना। कथन और उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

> "कनिष्ठ वकीलो को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा, निर्धन या विकलांगों के लिए वकीलो के लिये कल्याण योजनाएं, विधिक समुदाय के लिये लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (2) का खंड (ए) और धारा 7 की उप-धारा (2) का खंड (ए), राज्य बार काउंसिल के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अन्य बातों के साथ-साथ "गरीबों, विकलांगों या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देने" के उद्देश्य से अपने नियमों के माध्यम से एक या अधिक फंड का गठन करने की शक्तियां प्रदान करता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) और धारा 7 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि एक राज्य बार काउंसिल उक्त उद्देश्य के लिए अनुदान, दान, उपहार या उपकार प्राप्त कर सकता है जिसे उचित खाते में उपधारा (2) के अंतर्गत गठित निधि या निधि जमा किया जाएगा। तदनुसार कुछ राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। अधिकांश राज्यों ने इस विषय पर कानून बनाए हैं। हालाँकि, न तो कोई एकरूपता है और न ही उक्त प्रावधानों को पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा, अधिवक्ता अधिनियम वकालतनामे पर किसी भी कल्याण निधि टिकट लगाने को अधिकृत नहीं करता है। इसलिए, उपयुक्त सरकार द्वारा "अधिवक्ता कल्याण कोष" के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और उन राज्यों, जिनके पास इस विषय पर अपने

स्वयं के अधिनियम नहीं हैं, पर लागू एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता महसूस की गई है। यह फंड, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य बार काउंसिल द्वारा किए गए योगदान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अधिवक्ता संघों, अन्य संघों या संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी स्वैच्छिक दान या योगदान, उपयुक्त सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अनुदान, "अधिवक्ता कल्याण निधि टिकटों" की बिक्री के माध्यम से एकत्रित राशि से बना होगा।

2. सभी प्रैक्टिस करने वाले वकील आवेदन शुल्क और वार्षिक सदस्यता के भुगतान पर फंड के सदस्य बन जाएंगे। यह निधि उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्टी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धारण और लागू की जाएगी। इस निधि का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, गंभीर स्वास्थ्य समस्या के मामले में निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान देने, अभ्यास बंद करने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने और सदस्य की मृत्यु के मामले में उसके नामिती या विधिक प्रतिनिधि, सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं, पुस्तकों की खरीद और अधिवक्ताओं के लिए सामान्य सुविधाएं, के लिये को किया जाएगा फंड को अर्जित आय, लाभ और लाभ को आयकर से छूट दी जाएगी।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।"

12. इसी उद्देश्य और उद्देश्य से तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1987 (संक्षिप्त कल्याण निधि अधिनियम के लिए) भी अधिनियमित किया गया था। कल्याण निधि अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। धारा 2(ए) "अधिवक्ता" को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

"2(ए) "वकील" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 17 के तहत बार काउंसिल द्वारा तैयार और बनाए गए अधिवक्ताओं के रोल में दर्ज किया गया है और जो एक बार एसोसिएशन या एक अधिवक्ता एसोसिएशन का सदस्य है।"

धारा 2(i) फंड के सदस्य को इस प्रकार परिभाषित करती है-

"2(1) "फंड के सदस्य" का अर्थ है एक वकील जिसे फंड के लाभों के लिए भर्ती किया गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसका सदस्य बना हुआ है।"

अभ्यास की समाप्ति को धारा 2(ई) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:-

"2(ई) "प्रैक्टिस की समाप्ति" का अर्थ है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 26-ए के तहत राज्य सूची से एक वकील का नाम हटाना।"

13. कल्याण कोष अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सरकार तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण कोष नामक एक कोष का गठन करेगी। धारा 3 इस प्रकार है:-

"3. अधिवक्ता कल्याण निधि

(1) सरकार तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण कोष नामक एक कोष का गठन करेगी।

(2) निधि में जमा किया जाएगा-

(ए) धारा 12 के तहत बार काउंसिल द्वारा भुगतान की गई सभी राशियाँ;

(बी) बार काउंसिल द्वारा किया गया कोई अन्य योगदान;

(सी) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी बार एसोसिएशन, किसी एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा फंड में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या योगदान; या अन्य संघ या संस्था, या कोई वकील या अन्य व्यक्ति;

(डी) सरकार द्वारा कोष को दिया गया कोई अनुदान;

(ई) धारा 10 के तहत उधार ली गई कोई भी राशि;

(एफ।) धारा 15 के तहत एकत्रित सभी रकम;

(जी) समूह बीमा पॉलिसी के तहत एक वकील की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त सभी रकम;

(एच) निधि के सदस्यों की समूह बीमा पॉलिसियों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश या रिफंड;

.

(आई) फंड के किसी भी हिस्से से किए गए किसी भी निवेश पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य रिटर्न; और

(जे) धारा 22 के तहत टिकटों की बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई सभी रकम।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान ऐसी एजेंसियों को ऐसे अंतराल पर और ऐसे तरीके से किया जाएगा, या एकत्र किया

जाएगा, और निधि के खातों को ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

अधिवक्ता कल्याण कोष का संचालन एक ट्रस्टी समिति द्वारा किया जाता है। कल्याण निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निधि अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित ट्रस्टी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा आयोजित और प्रशासित की जाएगी। ट्रस्टी समिति के कार्यों को कल्याण निधि अधिनियम की धारा 9 में वर्णित किया गया है।"

14. कल्याण निधि अधिनियम की धारा 16 जो इन अपीलों के लिए प्रासंगिक है, अभ्यास की समाप्ति पर राशि के भुगतान से संबंधित है। 2001 के संशोधन के बाद, धारा 16 इस प्रकार है: -

"16. प्रैक्टिस बंद होने पर राशि का भुगतान

(1) प्रत्येक अधिवक्ता जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए फंड का सदस्य रहा है, उसकी प्रैक्टिस बंद होने पर, अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर एक राशि का भुगतान किया जाएगा:

(आईए) "उप-धारा (1) में किसी भी बात के बावजूद, फंड का प्रत्येक सदस्य जिसने तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2000 के लागू होने की तारीख पर एक वकील के रूप में पच्चीस साल का अभ्यास पूरा कर लिया है या पूरा कर लिया है, फंड के सदस्य के रूप में पांच साल पूरे होने पर और उसके अभ्यास की समाप्ति पर, एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। (1.2.2001, से)

बशर्ते कि जहां ट्रस्टी समिति इस बात से संतुष्ट हो कि फंड का कोई सदस्य "किसी भी स्थायी शारीरिक या मानसिक विकलांगता" के परिणामस्वरूप फंड के सदस्य के रूप में प्रवेश की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर अभ्यास करना बंद कर देता है, ट्रस्टी समिति निधि के सदस्य को अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर राशि का भुगतान कर सकती है

स्पष्टीकरण 1: इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए फंड के किसी सदस्य के वर्षों की संख्या की गणना करने के लिए, फंड में सदस्य के प्रवेश से पहले एक वकील के रूप में अभ्यास के हर चार साल को एक के रूप में गिना जाएगा। इस तरह के प्रवेश से पहले चार साल से अधिक के अभ्यास के प्रत्येक वर्ष को तीन महीने की स्थिति के बराबर गिना जाएगा और इस प्रकार गिने गए वर्षों की कुल संख्या को अभ्यास के वर्षों की संख्या में जोड़ा जाएगा।

स्पष्टीकरण II- (1) जिस अवधि के दौरान निधि का कोई सदस्य निलंबित रहा, उसे स्थायी वर्षों की गणना के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा।

(2) जहां फंड के किसी सदस्य की उपधारा (1) के तहत देय राशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, को फंड के मृत सदस्य को देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत निधि में सदस्यता से हटाया गया और उस धारा की उप-धारा (6) के तहत निधि में पुनः भर्ती किया गया कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि के भुगतान का हकदार नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत फंड में सदस्यता से हटाने की तारीख और पुनः प्रवेश की तारीख के बीच की अवधि के दौरान फंड।

(4) कोई भी सदस्य जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 25) के तहत कदाचार के लिए बार काउंसिल द्वारा निलंबित कर दिया गया है, वह ऐसे

निलंबन की अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत निधि से किसी भी राशि के भुगतान का हकदार नहीं होगा।:

(5) जहां निधि के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, दो लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि ऐसा सदस्य, जो अपनी मृत्यु से पहले, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकारी या नियोक्ता से पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त कर रहा था, तो उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस उपधारा के तहत दो लाख रुपये की राशि के भुगतान का हकदार नहीं होगा। (1.2.2001 से)

(6) प्रत्येक सदस्य या उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, निधि से भुगतान के लिए ट्रस्टी समिति को ऐसे फॉर्म में आवेदन करेगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(7) जहां एक व्यक्ति, जिसे उप-धारा (1) या (1-ए) के तहत राशि का भुगतान किया गया है, को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 24 के तहत फिर से एक वकील के रूप में भर्ती किया गया है, फंड में दोबारा शामिल होने की इच्छा रखने वालों को, धारा (1) या (1-ए) में निर्दिष्ट तरीके से किए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना करनी होगी, निधि में पुनः शामिल किया जाए। वह इस अधिनियम के तहत 15.1.1996 से अपनी प्रैक्टिस बंद करने की तारीख और पुनः प्रवेश की तारीख के बीच की अवधि के दौरान फंड से किसी भी राशि के भुगतान का हकदार नहीं होगा।"

15. संशोधन 2001 से पहले धारा 16 का स्पष्टीकरण II (5) इस प्रकार था-

स्पष्टीकरण II (5) "जहां फंड के सदस्य की फंड में प्रवेश के पांच साल के भीतर मृत्यु हो जाती है, उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, निधि के सदस्य द्वारा अभ्यास के प्रत्येक वर्ष के लिए एक हजार रुपये की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. धारा 16 को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि 2001 के संशोधन से पहले, कल्याण निधि अधिनियम की धारा 16 के स्पष्टीकरण II (5) में यह विचार किया गया था कि निधि के सदस्य की मृत्यु की तारीख से पांच साल के भीतर निधि में उनके प्रवेश, उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी उनके अभ्यास के प्रत्येक वर्ष के लिए एक हजार रुपये की दर से भुगतान के पात्र थे/थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कल्याण निधि अधिनियम की धारा 16(1) के तहत, शेड्यूल भुगतान तभी संभव है जब एक वकील के रूप में उसने फंड के सदस्य के रूप में पांच साल पूरे कर लिए हों। कल्याण निधि अधिनियम की धारा 16 के स्पष्टीकरण II (5) को 1.2.2001 से संशोधित किया गया, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, जिसके अनुसार फंड के सदस्य की मृत्यु पर फंड की सदस्यता के वर्षों की परवाह किए बिना दो लाख रुपये की एकमुश्त राशि देय होती है। जीओ के बाद, एमएस. 688 दिनांक 19.9.2012 के अनुसार, धारा 16 स्पष्टीकरण II (5) के अनुसार मृत अधिवक्ताओं के नामित/कानूनी उत्तराधिकारियों को देय दो लाख रुपये की उपरोक्त वित्तीय सहायता को बढ़ाकर पांच लाख और पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया है। दो लाख रुपये की यह एकमुश्त राशि (संशोधन 2001 के अनुसार) उस फंड के सदस्य को देने से इनकार कर दी जाती है, जिसने सरकारी सेवा या किसी अन्य संगठन से सेवानिवृत्ति के बाद खुद को नामांकित किया है, जो पेंशन या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त कर रहा था।

17. अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि कल्याण निधि अधिनियम की धारा 2 (ए) में "अधिवक्ता" की परिभाषा के अनुसार, अधिवक्ताओं के बीच अंतर नहीं किया जा

सकता है। कल्याण निधि अधिनियम की धारा 2(1) पर भरोसा किया गया था जो "फंड के सदस्य" शब्द को परिभाषित करता है और यह प्रस्तुत किया गया था कि जब एक बार अपीलकर्ताओं जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फंड के सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरों के साथ समान रूप से और अधिवक्ताओं के एक सजातीय समूह के बीच कोई कृत्रिम वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसा वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

18. कल्याण निधि अधिनियम की योजना के अनुसार, प्रत्येक अधिवक्ता जिसने अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार राज्य बार काउंसिल में नामांकन किया है, स्वचालित रूप से अधिवक्ता कल्याण कोष का सदस्य नहीं बन जाएगा और यह केवल वे अधिवक्ता हैं जिन्होंने न्यासी समिति के लिए आवेदन किया है, अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन सकते हैं। कल्याण निधि अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, केवल वे लोग जिन्होंने आवेदन के लिए 200/- रुपये की सदस्यता का भुगतान करके आवेदन किया है, उन्हें ही निधि के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार यह विवाद में नहीं है, न केवल वे अधिवक्ता जिन्होंने अपनी कानून की डिग्री पूरी होने के तुरंत बाद बार काउंसिल में नामांकन कराया है, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने अन्य रोजगार से सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया है, वे अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन सकते हैं। केवल वे अधिवक्ता जो अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन गए हैं, कल्याण कोष अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र हैं, जो धारा 16 (1) के संदर्भ में अभ्यास की समाप्ति पर निर्धारित राशि का भुगतान और विवादित परंतुक के अनुसार एकमुश्त राशि भुगतान हो सकता है। अधिनियम की धारा 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक वकील जो कम से कम पांच साल की अवधि के लिए फंड का सदस्य रहा है, उसकी प्रैक्टिस बंद होने पर अनुसूची में निर्दिष्ट

दर पर एक राशि का भुगतान किया जाएगा। धारा 16 की उप-धारा (1) का प्रावधान ट्रस्टी समिति को फंड के एक सदस्य को एक राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाता है जो सदस्य के रूप में प्रवेश की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर अभ्यास करना बंद कर देता है। इस प्रकार, जो व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए हैं, भले ही उन्हें लागू प्रावधान के तहत एकमुश्त भुगतान के लाभ से वंचित कर दिया गया हो, वकालत समाप्त होने पर, वे अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर कल्याण निधि के हकदार होंगे। हमारे विचार में, सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिवक्ताओं, जिन्होंने अपना पद छोड़ने के बाद वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की है, जो पेंशन या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जो वकील लॉ कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, के बीच भेदभाव, हमारे विचार में तर्कसंगत और उचित प्रतीत होता है। हमारे विचार में, उक्त वर्गीकरण का उस उद्देश्य से संबंध है जिसे प्राप्त करना चाहा गया है।

19. तमिलनाडु कल्याण निधि अधिनियम के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कल्याण निधि का उद्देश्य अधिवक्ताओं को कल्याण प्रदान करना और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं: -

उददेश्यो और कारणों का विवरण

तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (तमिलनाडु अधिनियम 1987 का 49)

> "तमिलनाडु राज्य में अधिवक्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और उन्हें उससे जुड़े या आकस्मिक लाभ प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष का गठन काफी समय से इस सरकार का ध्यान

आकर्षित कर रहा है। सरकार ने राज्य में अधिवक्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने और उन्हें उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण कोष नामक एक कोष का गठन करने का निर्णय लिया गया। (रेखांकित जोड़ा गया)।

20. विचार के लिए मुख्य बिंदु यह है कि क्या अधिनियम के उद्देश्य और अधिनियम की धारा 16 के स्पष्टीकरण II (5) के तहत उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त कल्याण निधि के लाभों से इनकार करने के बीच कोई संबंध है। जैसा कि पहले देखा गया है, अभ्यास की समाप्ति पर, कल्याण निधि के सदस्य सेवा के वर्षों के आधार पर कल्याण निधि अधिनियम की अनुसूची में उपलब्ध लाभों के हकदार हैं और जो अस्वीकार किया जाता है वह केवल एकमुश्त राशि है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल किसी समूह को हुई कठिनाई किसी कानून को रद्द करने का आधार नहीं होनी चाहिए।

21. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा अनुच्छेद 14 वर्ग-विधान को रोकता है लेकिन यह युक्तियुक्त वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालाँकि, वर्गीकरण "मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल करने वाला" नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ वास्तविक और पर्याप्त असर, कानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के उचित और उचित संबंध पर आधारित होना चाहिए। अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है जहां समान लोगों के साथ बिना किसी उचित आधार के अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। लेकिन जहां समान और असमान के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। वर्ग विधान वह है जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुने गए व्यक्तियों के एक

वर्ग को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करके अनुचित भेदभाव करता है, जिनमें से सभी दिए गए विशेषाधिकार के संबंध में समान हैं और जिन लोगों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है और जिनके बीच विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। जिन व्यक्तियों को इतना समर्थन नहीं मिला है, उनमें एक को शामिल करने और दूसरे को ऐसे विशेषाधिकार से बाहर करने को उचित ठहराने वाला कोई उचित अंतर या पर्याप्त अंतर नहीं पाया जा सकता है।

22. जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन वर्गीकरण "मनमाना, बनावटी या टालमटोल करने वाला" नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित और उपयुक्त संबंध रखने वाले कुछ वास्तविक और ठोस अंतर पर आधारित होना चाहिए। तर्कसंगत होने के लिए वर्गीकरण को निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना होगा: - सबसे पहले, वर्गीकरण को समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है। दूसरे, अंतर का उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है। अंतर जो वर्गीकरण का आधार है और अधिनियम का उद्देश्य दो अलग-अलग चीजें हैं। आवश्यक यह है कि आधार वर्गीकरण और अधिनियम के उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब वर्गीकरण के लिए कोई उचित आधार नहीं होता है कि कानून ऐसे वर्गीकरण को भेदभावपूर्ण घोषित कर सकता है।

23. विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 (1979) 1 एससीसी 380 में, इस अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या से जुड़े बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख किया और सिद्धांत का सारांश दिया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनाम श्री

श्याम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, (2011) 3 एससीसी 238 के मामले में, न्यायमूर्ति सिंघवी ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला और स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करके समानता के अधिकार की अवधारणा को विस्तृत किया है जो कि भारत संघ एवं अन्य. बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स एवं अन्य, (1975) 1 एससीसी 305, डॉ. सुषमा शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (1985) पूरक एससीसी 45, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी एवं अन्य, (1996) 10 एससीसी 536, रामराव एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और अन्य, (2004) 2 एससीसी 76 और पंजाब राज्य और अन्य बनाम अमर नाथ गोयल एवं अन्य, (2005) 6 एससीसी 754 आदि है।

24. हाल ही में, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई एवं अन्य, (2014) 8 एससीसी 682 के मामले में, इस न्यायालय ने वर्गीकरण की प्रक्रिया पर विचार किया और पैरा (58) और (70) में दिए गए कानून के प्रयोजनों के लिए किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए इस प्रकार हैं:-

> "58. संविधान राज्य को वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि कानून के प्रयोजनों के लिए और किसी विशेष विषय पर बनाए गए कानून के संबंध में किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए। जब वहां एक वर्ग की दूसरे से असमानता होती है तो कुछ हद तक असमानता की बाध्यता होती है हालाँकि, ऐसा अलगाव तर्कसंगत होना चाहिए न कि कृत्रिम या टालमटोल करने वाला। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, जो एक साथ समूहीकृत सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और दूसरों में नहीं जो छूट गए हैं लेकिन उन गुणों या विशेषताओं का कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण का

आधार जो भिन्नता है वह ठोस होना चाहिए और कानून के उद्देश्य के साथ उसका उचित संबंध होना चाहिए। यदि उददेश्य ही भेदभावपूर्ण है, तो यह स्पष्टीकरण कि वर्गीकरण उचित है, प्राप्त किये जाने वाले उददेश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखना सारहीन है।

70. निःसंदेह, प्रत्येक भेदभाव] भेदभाव नहीं है, लेकिन साथ ही, भेदभाव को अप्रासंगिक और कृत्रिम मतभेदों से अलग करते हुए प्रासंगिक और वास्तविक मतभेदों पर आधारित होना चाहिए। एक साधारण भौतिक समूहन जो बिना किसी तर्कसंगत आधार के एक श्रेणी को दूसरे से अलग करता है, कोई ठोस या समझदार अंतर नहीं है। अलगाव या अलगाव का एक व्यवस्थित संबंध और तर्कसंगत आधार होना चाहिए और इस तरह के अलगाव का उद्देश्य भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक लोक सेवक जिसके खिलाफ अपराध करने का उचित संदेह है या पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के आरोप हैं, उसके साथ कानून के तहत समान और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पूछताछ/जांच के प्रयोजनों के लिए सेवा में उनकी स्थिति या पद के आधार पर उनके बीच किया गया कोई भी भेद कृत्रिम के अलावा और कुछ नहीं है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

25. अनुच्छेद 14 की व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या उन अधिवक्ताओं के वर्गीकरण के बीच कोई स्पष्ट अंतर है, जिन्होंने नामांकन के बाद सीधे प्रैक्टिस शुरू की थी और अन्य वकील जो नौकरी छोड़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और कार्यालय और पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और क्या अंतर का अधिनियम के उद्देश्य से कोई संबंध है।

26. वकालत का पेशा एक महान व्यवसाय है। कानूनी बिरादरी पेशे में सफल होने के लिए दिन-रात मेहनत करती है। हालाँकि यह सच है कि कानून सहित किसी भी पेशे में धीरे-धीरे आगे बढ़ना आदर्श है, लेकिन शुरू में युवा अधिवक्ताओं को लंबे समय तक कतार में रहना पड़ता है और अधिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। बेहद प्रतिभाशाली होने के बावजूद, कई युवा वकीलों को अपने पेशे में शायद ही उचित अवसर या अनुभव मिल पाता है। पेशे के शुरुआती चरणों में नए प्रवेशकों को उस अल्प वजीफे से पीड़ित होना पड़ता है जो युवा वकीलों को उनके शुरुआती वर्षों के दौरान मिल सकता है, साथ ही इससे संबंधित कानून की अनुपस्थिति के कारण, उन्हें अपने भोजन, आवास, परिवहन और अन्य जरूरतो का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी वे अपने पेशे में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ भाग्यशाली वकील अपने लिए नाम कमाने और पेशे में सफलता हासिल करने में सक्षम होते हैं। अधिकांश कानूनी बिरादरी के लिए, हर दिन एक चुनौती है। कठिन समय के बावजूद, जो वकील नामांकन के तुरंत बाद प्रैक्टिस शुरू करता है, वह इस पेशे में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। कुछ वकील जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं फिर भी इस पेशे में बने रहना चुनते हैं। यह कुछ-कुछ "हवा के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर साइकिल चलाना" जैसा है।

27. इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कानून स्नातक हैं, उन्होंने पेशे में कठिन समय का सामना नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्तम समय के दौरान कोई अन्य आकर्षक नौकरी चुनी और एक सुरक्षित जीवन व्यतीत किया। दूसरों ने कुछ नौकरी पाई और खुद को रोजगार के एक आरामदायक स्थान पर स्थापित किया, शाम के कॉलेज में शामिल होने का फैसला किया या अंशकालिक कक्षाओं में भाग लिया और कानून की डिग्री प्राप्त की और आरामदायक

सेवानिवृत्ति लाभों के साथ सेवानिवृत्त हुए, अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए, उन्होंने खुद को अभ्यास करने के लिए एक वकील के रूप में नामांकित किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के अलावा पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी भी मिलती है। पेंशन के साथ एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ की उपलब्धता एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके समकक्ष वकीलों की तुलना में बेहतर स्थिति में बनाती है जो कठिन समय से जूझते हैं।

28. विभिन्न कल्याण निधि योजनाएं वास्तव में उन लोगों के लाभ के लिए हैं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वकील, जो अपने नामांकन के तुरंत बाद उच्च आशाओं और उम्मीदों के साथ कानूनी पेशे में शामिल होते हैं और अपना पूरा जीवन इस पेशे के लिए समर्पित कर देते हैं, असली हकदार हैं। जो वकील सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद खुद को नामांकित करते हैं और पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं, जो मूल रूप से अपने जीवन की शाम को हरित चरागाहों की तलाश में इस क्षेत्र में शामिल होते हैं, उन्हें उन लोगों के बराबर नहीं माना जा सकता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यवसाय के प्रति समर्पित कर दिया है। इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए, पेंशन और टर्मिनल लाभों के मद्देनजर कुछ मात्रा में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाती है और उन्हें अधिनियम के तहत एकमुश्त कल्याण निधि के लिए पात्र बनाना वास्तव में दोगुना लाभ होगा। इसलिए, हमारे विचार में, इन दो श्रेणियों में वकीलों का वर्गीकरण अधिनियम के उद्देश्य के साथ संबंध रखने वाला एक उचित वर्गीकरण है।

29. इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें उन वकीलों के वर्ग से अलग रखा गया है जिन्होंने इस पेशे को अपनी आजीविका के एकमात्र साधन के रूप में चुना है, यह उचित रूप से समझा जा सकता है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति एक अलग वर्ग बनाते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम का उद्देश्य प्रैक्टिस बंद

होने पर अधिवक्ताओं के लाभ के लिए एक कल्याण कोष का गठन करना है। धारा 3 (2) (डी) के अनुसार सरकार द्वारा कल्याण कोष में दिया गया कोई भी अनुदान अधिवक्ता कल्याण कोष के स्रोतों में से एक है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही सरकार या अन्य नियोक्ता से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अधिवक्ता कल्याण निधि से एक और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करना दोगुना लाभ होगा और उन्हें कल्याण निधि की एकमुश्त राशि के लाभ से बाहर रखा गया है। .

30. केंद्रीय कानून-अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 की धारा 28 में प्रावधान है कि कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 19, 21 और 24 के तहत अनुग्रह अनुदान का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ राज्य अधिनियम भी अधिवक्ताओं के बीच इस आधार पर अंतर करता है कि अधिवक्ताओं के एक समूह को राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता से टर्मिनल लाभ और पेंशन के रूप में कुछ वित्तीय सहायता आदि प्राप्त होती है। विभिन्न राज्यों के संबंधित अधिनियमों अर्थात् केरल अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 15), उड़ीसा अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 15) और राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (धारा 16) में समान प्रावधान हैं जो उन अधिवक्ताओं के बीच अंतर करते हैं जिन्होंने अपना कार्यालय छोड़ने के बाद खुद को वकील के रूप में नामांकित किया और अधिवक्ताओं के दूसरे वर्ग जिन्होंने सीधे लॉ कॉलेज से वकील के रूप में नामांकन किया और अभ्यास स्थापित किया। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिवक्ताओं के दो वर्गों के बीच अंतर अनुचित या अतार्किक है।

31. मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कल्याण निधि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सूक्ष्म विश्लेषण किया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या से संबंधित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और सही

निष्कर्ष निकाला कि इनके बीच उचित वर्गीकरण है, वे वकील जिन्होंने केंद्र/राज्य सरकार/संगठन से अपना पद छोड़ने के बाद प्रैक्टिस शुरू की थी और वे वकील जिन्होंने सीधे लॉ कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू की थी। यह कहना सही होगा कि कानूनी पेशे में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और अधिवक्ताओं के इस समूह को एकमुश्त कल्याण निधि के लाभ से वंचित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमें मद्रास उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में कोई खामी नहीं मिली और तदनुसार अपीलें खारिज की जा सकती हैं।

32. विशेष अनुमति याचिका संख्या 34326/2012 से उत्पन्न सिविल अपील: बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) इसे पूरे बिहार राज्य में लागू करती है। बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) उन व्यक्तियों को कल्याण निधि के दायरे से बाहर करती है, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खुद को वकील के रूप में नामांकित किया है और सरकार या अपने नियोक्ता से सेवानिवृत्ति लाभ कल्याण निधि की दृष्टि में प्राप्त कर रहे हैं। अधिवक्ता कल्याण कोष कनिष्ठों को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा और गरीब या अक्षम अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजना प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही अपने नियोक्ताओं से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, हमारे विचार में, उन्हें बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 की प्रयोज्यता से बाहर करने में कोई मनमानी नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने केदार नाथ तिवारी बनाम बिहार राज्य, 2011 (2) पीएलजेआर 401 में अपने फैसले को लागू करते हुए रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया और हमें विवादित आदेश में कोई खामी नहीं मिली और अपील खारिज किये जाने योग्य है।

33. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।